

18·40 hrs.

**DISCUSSION RE. REPORTED ATROCITIES ON SATNAMI HARIJANS IN BILASPUR DISTRICT**

**श्री हुम्म चन्द राजेश्वर (उड़जैन) :** अध्यक्ष महोदय, मूँ नियम 188 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का सबाल उठाना चाहता हूँ। नियम 188 इस प्रकार है :

“साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो, जो किसी न्यायिक या अद्व्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।”

इसके बाद मैं आपका ध्यान नियम 352 (1) की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है :

“बोलते समय कोई सदस्य किसी तथ्य, विषय का निदेश नहीं करेगा, जिस पर न्यायिक विनियोग लम्बित हो।”

इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक गजेट (क्रमांक 31, भोपाल, जनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 1968) निकाला है, जिसमें उसने 19 जनवरी और 20 जनवरी, 1968 की घटनाओं, पिछले पंद्रह दिनों की घटनाओं, बहाने के सामाजिक भत्तेदारों और पुलिस तथा जिला प्रशासन के बताव आदि की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की है। मैं इस चर्चा का विरोधी नहीं हूँ, यह चर्चा होनी चाहिए और बच्चे डंग से होनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि 17 फरवरी, 1968 को मध्य प्रदेश शासन ने एक आयोग के द्वारा उन घटनाओं की जो जांच करने की व्यवस्था की है, इस चर्चा में ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिए, जिससे उस जांच पर असर पहे। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अपना निर्णय दें।

**श्री मधु लिमदे (मुंगेर) :** अध्यक्ष महोदय, बस्तर की घटनाओं के बारे में भी तीसरी लोक सभा में काफी सरगर्मी हुई थी और उसके पश्चात् उनके बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव यहाँ पर आया था और उस पर बहस करने का मौका दिया गया था। जहाँ तक भेरा सबाल है, चाहे कांग्रेसी सरकार का मामला हो और चाहे गैर-कांग्रेसी सरकार का, मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ कि लोक सभा को हर एक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने का मौका दिया जाये, क्योंकि वह समूचे देश की प्रतिनिधि सभा है। वर्तमान नियमों में कहा गया है कि उधारणतया—“साधारणतया”, विशेष स्थिति में आपको अधिकार है—ऐसे सबाल नहीं पूछे जायेंगे और ऐसी बहसें नहीं उठाई जायेंगी, जो न्याय-प्रविष्ट या न्यायालय के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित हों। ऐसे मामलों पर बहस की जाये या नहीं, यह विषय हाउस आफ कामन्स में भी उठा या। हाउस आफ कामन्स ने इस पर एक विशेष सिलेक्ट कमेटी बिठाई थी। उस सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव है कि जो जांच आयोग सदन के प्रस्ताव के तहत नियुक्त किया जाता है, उसके विचाराधीन विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य ने जिस आयोग का चिकित्सा किया है, वह तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, इस लिए वह हमारे लिए बन्धनकारक नहीं है। सरकार के द्वारा जो जांच आयोग नियुक्त किये जाते हैं, वे हमारे लिए बन्धनकारक नहीं हैं, लेकिन जब लोक सभा किसी प्रस्ताव के द्वारा कोई जांच आयोग कायम करती है, तो किर उसके विचाराधीन विषय पर यहाँ बहस नहीं हो सकती है।

**SHRI SONAVANE (Pandharpur) :** Sir, I want to make a submission. On a previous occasion, when a point of order was raised, saying that some judicial enquiry was going on and could not be discussed, even after that point of order was raised, the Speaker ruled that leaving aside those terms of reference of that Commission, we can

[**Shri Sonavane]**

speak on the facts of the case. Therefore, there is a precedent for you and though I do not remember exactly what the nature of that precedent was, I submit that a discussion on this subject should be allowed.

**MR. SPEAKER :** Can the Minister throw some light on this ?

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :** Sir, as you know, when a point of order was raised in relation to the Bastar incident, when it was going to be discussed, at that time it was specifically ruled that it could be taken up in the House despite the fact that a judicial enquiry about the incident had been instituted. Here also, this matter concerns a social problem and whatever be the result of the matter after the enquiry, as Mr. Madhu Limaye has said, it should be our duty to discuss this matter. Therefore, I think that the House should be given an opportunity to discuss this matter.

**SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) :** Sir, my point is this. Even during the course of the speech, when Shri A. S. Saigal was raising this question, some hon. Member raised the point of order saying that the matter was *sub judice*. The Deputy-Speaker was in the Chair and he ruled that though the particular merits of the case could not be discussed, the case in general could be discussed.

**SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) :** When Mr. Kachwai raised the point of order, he never said that he does not want a discussion. He only said that certain points should be discussed.

**Mr. SPEAKER :** Yes. It was made very clear.

**श्री अ० सिंह सहगल (बिलासपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। 16 फरवरी को मैंने अपने विचार रखे थे और 17 फरवरी को शासकीय विज्ञाप्ति क्रमांक 386-837/एक-अ/68, दिनांक 17 फरवरी, 1968 के अनुसार वहाँ पर जांच आयोग की एपायट-मेट हुई थी। हम उस जांच से सम्बन्धित बातों में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमको फैंक्ट्स को रखने की इजाजत होनी चाहिए।

**MR. SPEAKER :** As all of you agree there is no difference of opinion on this. Without going into the matter as to what are before the judicial tribunal and so on, we could discuss this subject. Shrimati Minimata came to me to mention this matter and they have all been pressing me for the last one month, ever since this session began. I think this is a matter where, without going into the details of the case which may be before the tribunal, we could discuss it.

**SHRI SONAVANE :** May I make another submission, Sir ? This item was kept on the agenda for discussion at 6 p.m. and you were good enough to allow other items which intervened. So, we are taking this item after 50 minutes. This is really in your discretion, but however we feel that we should continue this discussion not for one hour but for two hours and a half, to be continued even tomorrow. That is my humble submission, since this is a very serious matter concerning the atrocities committed on the Harijans.

**MR. SPEAKER :** Let us bear it in mind. One-hour discussion was allotted. I think it was with great difficulty that the Business Advisory Committee fixed up the time. It is not as if I allowed it. I only admit things. The fixing up of the time and the date—I do not do it, though I must do it—is done after consultation with all the parties. After consultation with the parties, it has been fixed. If you want some more time and some other day, let us see. I am not against one more hour. Even now, we are late. Shri Madhu Limaye may begin his speech. Let us see.

**श्री मधु लिमये :** अध्यक्ष महोदय, आज बिलासपुर कांड की ददनाक और शर्मनाक घटना पर मैं बहस उठाना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ा अफसोस है और एक हिन्दुस्तान के नागरिक के नाते मेरा सिर शर्म से झुक रहा है कि हमारे संविधान के बावजूद और कानून के सामने समानता, बराबरी आदि की हम बात करते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद इस तरह के अत्याचार हमारे देश में हरिजनों पर और आदिवासियों पर हो रहे हैं। कल यहाँ पर

केन्या के मामले को लेकर बहस उठाई गई और ब्रिटेन के द्वारा नस्लवाद के आधार पर जो विषयम् व्यवहार एशियाई लोगों के साथ किया जा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने अपना शोक प्रकट किया। उसी तरह अमेरिका में भी कू-ऑफस-क्लैन जैसी संस्थाओं के द्वारा एक अरसे से इस तरह की जुल्मों-सितम की घटनाएँ हो रही हैं, जो वहाँ के नीतों नागरिक हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार वह करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सदन अन्तर्मुख बने और सोचे कि जब ब्रिटेन के बारे में, अमेरिका के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करनी भी चाहिए, मानवता की दृष्टि से, इन्सानियत का सवाल है, लेकिन, मैं पूछता हूँ, क्या हमारा दामन साफ है? क्या हमारे दामन पर भी दाग लगे हुए नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, आज राज्य मंत्री विद्याचरण जी शुक्ल यहाँ पर हैं जो कि मध्य-प्रदेश के हैं नेकिन मुझे अफसोस है कि आज कबीना के बड़े मंत्री जो महाराष्ट्र से आते हैं, श्री यशवंत राव चव्हाण वह यहाँ मौजूद नहीं हैं। यह सवाल कांग्रेसी सरकार और गैर-कांग्रेसी सरकार का नहीं है। न यह सवाल केवल मध्य प्रदेश का है। न यह घटनाएँ केवल आज इस बक्त घट रही हैं। एक पृष्ठ-भूमि, एक इतिहास इसके पीछे है। इसलिए मध्य प्रदेश में गैर-कांग्रेसी राज में जो घटनाएँ हो रही हैं उनकी भी मैं निन्दा करता हूँ लेकिन साध-साथ सदन का ध्यान मैं उस तर्ज की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 15 वर्षों में जब कि मध्य प्रदेश में कांग्रेसी राज था उस समय भी इसी तरह की या कुछ माने में इससे भी ज्यादा गंभीर घटनाएँ इसी इलाके में, मध्य प्रदेश के बिलासपुर इलाके में घटीं। आज मध्य प्रदेश की ही बगल में महाराष्ट्र का राज है। वहाँ पर गैर-कांग्रेस सरकार नहीं है। कांग्रेसी सरकार है और मेरे पास इधर दो महीनों से शिकायतें आ रही हैं। तो मैं आपके सामने वहाँ की भी कुछ घटनाएँ रखना चाहता हूँ।

महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का इलाका है वहाँ की चार घटनाओं का केवल मैं उल्लेख कर रहा हूँ। अम्बड़ क्षेत्र में, जो मराठवाड़ा में है, चरागाहों पर कुछ हरिजनों ने, कुछ नवबुद्धों ने कब्जा किया। इस बात को लेकर समूचे गांव ने उनको दबाने की कोशिश की और उनका सामाजिक बहिष्कार किया। उनको अपना जीवन चलाना वहाँ पर मुश्किल हो गया। इसी तरह सिल्लौड के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कानूनी हंग से जो जमीन अर्जित की गयी थी उसका बटवारा नवबुद्धों में हरिजनों में हुआ था और चूंकि यह जमीन हरिजनों को दी गई थी इसलिए वहाँ के गांव वाले, बड़ी जाति के लोग गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने हरिजनों पर हमला किया 12 घर सिल्लौड में जलाए गए और सब लोग अंगरेज-बाद आ कर सरकार के पास न्याय मांगने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, उसकी ताजी खबर हमारे पास नहीं है। तीसरी बात नांदेड जिले में तरोड़े गांव है। वहाँ पर सर्वे नम्बर 74 की जमीन नवबुद्धों को दी गई थी। फिर सर्वे गांववासी बिगड़ गए और अब उन्होंने यह दावा किया है कि उस गांव के विकास के लिए वह जमीन हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हरिजनों को वह दे दी गई थी। चीया और पांचवां उदाहरण है ग्राम पंचायतों के दो सरपंचों के बारे में जो कि हरिजन यानी नवबुद्ध थे। पंचायत कार्यालयों में जो सूचना फलक था उस पर नौबुद्ध का नाम पहले आया इसलिए वहाँ पर हंगामा हुआ और उसका नाम मिटा दिया गया है। वह सूचना फलक आज भी वहाँ मौजूद है। क्योंकि सवणों के नाम से पहले एक नवबुद्ध का नाम आ गया इसलिए वह बिगड़ गए। और एक गांव के बारे में मुझे पता चला है कि वहाँ पर एक नवबुद्ध सरपंच बन गया था लेकिन वह लकड़ी तोड़ने का काम करता था। तो इनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक नवबुद्ध हरिजन सरपंच बन गया है तो उन्होंने क्या कहा कि लकड़ी तोड़ने का काम सरपंच को शोभा नहीं देता..

**SHRI SONAVANE :** Naubuddhas are not Harijans. They will object.

**श्री मधु लिमये :** वह कुछ नहीं है। उनको विशेष सुविधायें देने के बारे में बाहर बहस चल रही है। भंडारे साहब समझ जायेंगे। आप लोग समझेंगे नहीं। यह इस तरह का झगड़ा नहीं है।

**SHRI SONAVANE :** They are saying still that they are not Scheduled castes.

**श्री मधु लिमये :** जो नवबुद्ध हो गए हैं वह भी क्यों हो गए, जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए। . . . (व्यवधान) . . . देखिए, एक अच्छी बात कह रहा हूँ, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि सरपंच को शोभा नहीं देता है कि वह लकड़ी तोड़ने का काम करे। इसलिए या तो लकड़ी तोड़ने का काम छोड़ो या सरपंच पद से हट जाओ। उस बेचारे को लकड़ी तोड़ने के सिवायी और कोई साधन नहीं था जीविका चलाने का उसने सोचा कि भूखा रहने के बजाय सरपंच पद से हट जाना अच्छा है। मुझे याद आता है, कि इंग्लैंड में अभी-अभी की घटना है कि एक भारतीय आदमी को बढ़ोत्तरी मिली किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में तो उसको सफेद लोग चिट्ठी लिखने लगे और धमकियां देने लगे कि सफेद लोगों को जगह नहीं मिल रही है और यह काले आदमी इंस्पेक्टर बन रहे हैं, क्या मजाल है आपकी? तो उन्होंने इन धमकियों से डर कर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है। तो उसी किस्म की करीब करीब घटना मराठवाड़ा में यह हुई। मैंने इस का जिक्र इसलिए किया कि कोई यह न कहे कि मैं कोई कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र ही का सवाल उठा रहा हूँ।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अध्यक्ष

महोदय, बिलासपुर जिले में हरिजनों की ही एक जाति है या पथ है जिसको सतनामी कहा जाता है और इन सतनामियों के बीच में और दूसरे हरिजनों के बीच में इनके हिन्दुओं के और पिछड़े वर्ग के भी छोटी जाति के लोगों के भी बीच में बराबर वैमनस्य और संघर्ष रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार 1953 के पीछे की बात हम छोड़ दें, 1953 से ही सारा इतिहास हम लोग ले लें तो ऐसी दस या दसरह घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में जहां सतनामियों के द्वारा केवल एक कतल हुआ है बाकी जितनी सारी घटनाएं हैं, मैंने हिसाब लगाया कि इनमें सतनामी ही मारे गये। एक घटना में 6 सतनामी मारे गए। दूसरी घटना जो 1960 में हुई उसमें 12 मारे गए। फिर 1964 में हुई उसमें दो मारे गए। फिर 1967 में हुई उसमें एक मारा गया और अभी गैर-कांग्रेसी संविद सरकार के तहत जो घटना हुई उसमें भी पांच सतनामी मारे गए। सतनामियों के द्वारा जो हमले किए गए हैं, जो आक्रमण हुए हैं उसमें केवल एक आदमी की मौत हुई है। इससे बात बिलकुल साफ होती है कि इसमें आक्रमणकारी और हमलावर सतनामी नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत कम मात्रा में हैं और वह ज्यादा आक्रमण के और हमले के शिकार हैं जिससे कि 21 लोगों के कतल अब तक हो गए हैं 15 साल में। तो अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जांच आयोग कायम किया गया है और जैसा कि हुकम चंद कछवाय ने बताया पूरे 15 साल में घटित इस प्रकार की घटनाओं के विशेष संदर्भ में जांच करने तथा उनके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग को कहा गया है। तो ये सारे तथ्य तो सामने आ जायेंगे, मैं इनमें नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने अगर सावधानी बरती होती और सवारों के दबाव में आ कर काम न किया होता, तो ये सारी घटनायें न होतीं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, जांच आयोग निष्कर्ष ढंग से इस पर विचार कर के अपने निष्कर्ष हम लोगों के सामने रखेगा। लेकिन जो मैं अर्ज

करना चाहता हूँ वह यह है कि क्या बजह है कि जैसा हमारे संविधान की धारा 14 में कहा गया है—“सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा”—वह नहीं मिल रहा है। बात बिलकुल साफ है—जो बड़ी जातियों के लोग हैं, उनको विशेष संरक्षण मिल रहा है, समानता होते हुए भी जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको नहीं मिल रहा है—तो कानून की व्यवस्था में भी बड़ी खामी है।

19 hrs.

उसी तरह संविधान की धारा 15 में कहा गया है कि हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ जाति-पाति या मजहब को लेकर कोई विषय व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन हरिजनों के खिलाफ़, आदिवासियों के खिलाफ़ तथा जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ़ लगातार विषय व्यवहार किया जा रहा है।

संविधान की धारा 17 में हमने अस्पृश्यता पर रोक लगाई है, तथा अस्पृश्यता का पालन करने वाले लोगों को सजा देने के लिये हमने “अनटचेबिलटी आफेस्टेज एक्ट, 1955” भी बनाया है, लेकिन भूमि पहले यह कहना है कि इस कानून पर बिलकुल अमल नहीं हो रहा है। दूसरे इस कानून के अन्दर अस्पृश्यता माननेवालों और उसी तरह का व्यवहार करने-वाले लोगों के लिये जो दण्ड और सजा रखी गई है, वह बहुत मामूली किस्म की है—6 महीने तक सजा और 500 रु जुर्माना बर्गेरह। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि अस्पृश्यता कानून पर सज्जी से अमल करने के लिये, संविधान की 256 धारा में परिपत्र जारी हो। जब परिचमी बंगल में घेराव और मजदूर आन्दोलन हुए तो यहाँ चब्बाण साहब ने कहा था कि कानून पर अमल होना चाहिये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज करीब-करीब सभी सूबों में, मेरे क्षेत्र में भी एक हरिजन का घर जलाया गया था, तो साल पहले मैंने यह मामला यहाँ पर उठाया था, क्या बजह है कि धारा 256 के तहत सरकार परिपत्र जारी नहीं करती है।

कि सभी राज्य सरकारों को चाहिये जाहे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी-सज्जी से अस्पृश्यता कानून पर अमल किया जाय। यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरे—अस्पृश्यता कानून में तबदीली करने के कड़ी सजा और बहुत अधिक जुर्माना करने वाला संशोधन लाया जाय। इसके बारे में तीन-चार साल तक की सजा होनी चाहिये और जुर्माना भी दो-तीन हजार रुपये का होना चाहिये—यह परिवर्तन कानून में होना चाहिये।

तीसरे—धूमा-फिरा कर यह मामला आधिक शोषण का है—इस लिये मैं चाहता हूँ कि सरकार के पास जितनी परती-जमीन है, आप राज्य सरकारों से बात कर के एक लक्ष्य बना दीजिये और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेसी परती जमीन है, उस पर हरिजनों और आदिवासियों को बसाया जाय, उनको प्रायमिकता दी जाय। इसके लिये कोई लक्ष्य बनाया जाय और लक्ष्य के आधार पर कार्यक्रम बनाया जाय और सदन के सामने हर 6 महीने बाद आप रपट आये कि भूमि के बंटवारे के बारे में, हरिजनों और आदिवासियों को बसाने के बारे में क्या काम किया जा रहा है।

चौथे—देहातों में हरिजनों के मकान ऐसी जगहों पर होते हैं कि बरसात में कीचड़ बर्फीह हो जाती है। हरिजनों के मकान बनवाने के लिये कुछ योजनायें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार ज्यादा पैसा देकर हरिजनों को अच्छी जगह दे कर अच्छी जमीन पर मकान बनवाने के लिये कोई इन्टज़ाम करे।

इसके बाद नौकरी का सवाल है। चूंकि यह सारा मामला प्रतिष्ठा और इज्जत से बुझा हुआ है—एक बर्स से, तीन-चार साल ते भी यह मामला उठा रहा हूँ कि सरकार की बड़ी नौकरियों में क्या स्थिति है, सरकार के परिपत्र के अनुसार 17-18 परसेन्ट नौकरियाँ उनको मिलनी चाहियें। लेकिन पहले वर्ग में आप देह-दो प्रतिशत दे रहे हैं, दूसरे वर्ग में तीन-

## [ श्री मधु लिमये ]

साके तीन प्रतिशत दे रहे हैं, तीसरे वर्ग में सात प्रतिशत दे रहे हैं और चौथे वर्ग में बड़े उदार हो कर आप कह रहे हैं कि 17 प्रतिशत दे रहे हैं—यानी शाडू बगैरह लगाने और चपरासियों की नौकरियों में—यह नहीं होना चाहिये। सरकार को लक्ष्य बनाना चाहिये कि हमारा जो 17-18 प्रतिशत वाला जो लक्ष्य है, उसको फलां-फलां समय तक हम अमल में लायेंगे।—इसके साथ-साथ कुछ इस तरह का कार्यक्रम सभी जगहों के लिये बनाया जाना चाहिये—मैं खास तौर से देहाती इलाकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कूओं से हरिजन पानी नहीं ले सकते हैं, उनके लिये अलग कूएं बनाये जा रहे हैं, महाराष्ट्र में ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि खुद सरकारी अफसरों ने कहा है कि वहां के हरिजन स्वयं मांग कर रहे थे कि उन के इस्तेमाल के लिये अलग कूएं बनायें, इस लिये अलग कूएं बनाये गये, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि सर्वर्ण लोगों ने उन को समान किए नहीं बनाने दिये, इस लिये इस तरह की घटनायें हुईं।

इसी तरह से स्वच्छ पीने के पानी के बारे में बड़ी तकलीफ आज हरिजनों को है और इसी लिये बीमारियों का अनुपात हरिजनों और आदिवासियों में ज्यादा है, तो स्वच्छ पानी के बारे में कुछ इन्तजाम किया जाय।

अन्त में गृह मंत्री जी से मैं यह कहूँगा कि अब मध्य प्रदेश की संविध सरकार का न्यूनतम कार्यक्रम भोपाल में बन रहा था, जो मुझे भी बुलाया गया था और मैं वहां उस समय मीजूद था और मैंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जमीन का बटवारा, नौकरियां, बगैरह हैं, उस पर शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, उन पर संविध सरकार तत्काल अमल करे, लेकिन मुझे खेद के साथ आज स्वीकारना पड़ता है कि संविध सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में हो, जिस ढंग से न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में लापरवाही

वरती है, उसी तरह से करीब-करीब मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम के बारे में हुआ है।

**श्री यशवन्तसिंह कुशवाह (भिष्ठ) :** मध्य प्रदेश में बराबर अमल हो रहा है।

**श्री मधु लिमये :** यह गलत है कहना हम लोगों को भी इसी तरह से आत्म संशोधन करना चाहिये, इसकी जड़ में जाना चाहिये, मैं भी संविध का एक घटक होने के नाते इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा जिस ढंग से अमल होना चाहिये था, वह नहीं हो रहा है। यहां तो हो ही नहीं रहा है, इन लोगों को तो हम दोष देते ही हैं, लेकिन हम लोग भी आत्म संशोधन करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी इस घटना का इस्तेमाल दलीय राजनीति के लिये न करें, बल्कि यह जो सवाल है कि हरिजनों और आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिये, उस रोशनी में कदम उठायें और सभी राज्यों में उठायें, इतनी ही इस अवसर पर मेरी मांग है।

**MR. SPEAKER :** Now, so many names are there. We will have to conclude the debate today. The Members who have given notice must be given a chance.

**SHRI A. S. SAIGAL :** I have already given my name.

**MR. SPEAKER :** Shrimati Minimata will speak now. Perhaps, the hon. Member does not have the order paper of today with him.

**SHRI A. S. SAIGAL :** I have got the order paper. We have already given the names.

**MR. SPEAKER :** I will have to call the Members whose names are printed here. The name of Shrimati Minimata is there; the name of Shri Bhandare is there. After that only, others will get a chance. There is no use blaming anybody who is in the Chair. Here are two or three Members from the Congress side and, say three Members from the Opposition side, something like that. You will be surprised to know—I will not tell the names—that the Members who have spoken on the earlier subject or on the previous subject and have spoken two or three

\* times during the last two days have also sent their names. How will it be possible to conduct the debate ? Others may also sit here patiently and may get a chance. I am not making any hard and fast rule. Now, Shrimati Minimata will speak.

**थ्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरु (जंजगीरी) :** अध्यक्ष महोदय, ढाई हजार वर्ष पहले से इस तरह की जाति-प्रति और वर्ण-व्यवस्था बनी हुई है और तभी से यह सिलसिला शासक और शाशितों के साथ चला आ रहा है। आजादी के बाद हरिजनों ने सोचा था कि हम अब सिर उठा कर चल सकेंगे, किन्तु यह आजादी नकली थी और इस 20 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हरिजनों की दशा वैसी की वैसी दयनीय और दर्दनाक है। योड़े से हम जैसे लोग उनके दलाल बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चारा-दाना छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मध्य प्रदेश के मुगेली क्षेत्र में जो घटना घटी है, वह इतनी दर्दनाक है कि उसको देखकर हिटलर का दिल भी दहल जायेगा। अभी यह लिमये जी ने कहा है कि उन्होंने किसी दल के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, उसी प्रकार मैं भी किसी दल के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। किन्तु वहां जो देखने को मिला है उससे मैं यह कह सकती हूँ कि वहां पर एक विशेष दल है जो कि हस्तक्षेप कर रहा है। इसी लिए मैं कहती हूँ कि उस कांड में उस दल का हाथ अवश्य है।

19.10 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

14 तारीख को मुगेली नाम के ग्राम में एक रामायण का मामूली आयोजन किया गया। रामायण मात्र आष घंटा हुई और दो ढाई हजार लोगों का जुलूस पूरे गांव में घूमा। उस जुलूस में नारे सगे। वे नारे क्या थे? नारे थे: 'धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जियेंगे मरेंगे एक साथ। पोकल सिंह की जय हो, सतनामियों का नाश हो।' सतनामी तो हरिजन हैं, एक पंथ है। सवर्ण इस नाम से इसीलिए चिढ़ाते हैं कि ये हरिजन

हैं, सरकार ने इनको आममान में चढ़ा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महोदय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जब वहां गए थे तो उस एरिया के लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया। उसमें लिखा है: श्रीमान् राज्यपाल जी, हम सतनामियों को किसी भी क्षेत्र में ले जाकर जीवन दान देने की कृपा करें। उसमें लिखा है कि 'सवर्ण हिन्दू सतनामियों के विरुद्ध संगठित होते हैं, रामायण तो केवल एक बहाना है। यह हरिजन तो अछूत है। हरिजन को नाई, धोबी नहीं मिलता है। हरिजन अब थोड़े विचार-शील हो गए हैं, सरकार इनको मदद कर रही है, सरकार इनको आगे बढ़ा रही है। इसलिए इनको गिराने का एकमात्र उपाय यह है कि पिछड़े वर्गों को माथ ने लो। ये पिछड़े हुए वर्ग तो हमारे मध्य प्रदेश में इतने पिछड़े हुए हैं कि वे, सवर्णों का जो दांव है, उसको समझ नहीं पाते। उनके सामने एक ही विषय रहता है कि ये अछूत हैं, इनको नाई, धोबी नहीं मिलता, उनके पांच पीनी नहीं हैं। तुम तो हिन्दू हो, तुम को नाई, धोबी मिलता है, पांच पीनी मिलती है, तुम हमारे साथ हो। रामायण के नाम से ये नंगठन करते हैं। जो प्रार्थना-पत्र दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि ये दलबन्दी करते हैं, रामायण के नाम से गांव गांव दलबन्दी करते हैं। इन सतनामियों को हरिजनों को सरकार हर तरह से मदद देकर आकाश पर चढ़ाती है इसलिए ये लोग बहुत ही बढ़ गए हैं। इन्हें तो, जैसे पाकिस्तान से सिधियों को भगाया गया है, उसी तरह से इस क्षेत्र से भगाना चाहिए। इस तरह से रामायण मंडली के नाम से अपने बड़े बड़े दल लेकर सभा संगठित करते हुए सतनामियों को हिन्दू समाज से अलग अछूत जाति साबित करते हुए हिन्दू और सतनामियों के बीच बड़ी आड़ पैदा करते हैं। यह हैं श्रीमान ठाकुर पोकल सिंह।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं चुनाव प्रचार में थी तो एक विवासनीय मूव ने आकर मुझ से कहा कि पोकल मिह कह रहे हैं कि यहां इस

### [भीमती मिलीमाता अगम दास गुरु]

मुंगेली क्षेत्र के हरिजन, यानी सतनामी और इसाई—अधिकांश सतनामी ही इसाई हो गए हैं—अगर कांग्रेस को बोट देंगे तो खून की नदी बहेगी। पर दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस विजयी हुई। इसलिये उन्होंने एक कांड रचा। पोकल सिंह ने सितम्बर और अगस्त में कांड रचा। चार गांवों के पंचों को बुला लिया और कहा कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पंचोंने पूछा कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि यहां के दो सतनामी हैं जो कहते हैं कि ठाकुर पोकल सिंह को जान से मार दो, चार हजार रुपया देंगे। इसी तरह से एक घड़-यन्त्र रचकर, बेचारे दो 28-29 साल के नौजवान लड़कों से इससे पहले 4 हजार रुपए की मांग की थी। मैं स्वयं बताती हूं, मेरा भाई है मुंगेली के पास तखतपुर में था उससे 4 हजार रुपए मांगे गए। वह गांव छोड़कर भागा हुआ है यह हालत उन्होंने पैदा की है।

उपाध्यक्ष महोदय, पोकल सिंह का जो दल है वह एक डकैत दल है। उसने देखा कि हरिजन खाते पीते हैं, किसी प्रकार से इसको सताकर धन जन सब हज़म कर लेना चाहिए। जैसा कि लिमये जी ने कहा, आज से नहीं, सन् 1953 से यह चल रहा है। सन् 1961 में मेडपार ग्राम में 7 हत्याएं हुईं। उस हत्या के संबंध में—हमारे वालमीकी जी नहीं हैं, सिद्धैया कमीशन जांच करने के लिए गया था। उस समय कांग्रेसी राज्य था, थोड़ा बहुत कुछ न्याय मिला था। 20 लोगों को आजन्म कारावास हुआ लेकिन कुछ कारणवश छूट गए। अभी इतना अन्याय हो रहा है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ सही है और कुछ गलत। वहां पर कलबटर और चीफ मिनिस्टर के सामने जाकर कह गया कि हरिजन क्रिमिनल होते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए थाने की रिपोर्ट मांगी है लेकिन हमारी किसमत अच्छी है। जैसा कि लिमये जी ने कहा कि हम सताये हुए जीव हैं, हम सताए जा रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उससे वह सिद्ध करना चाहते थे

कि हरिजन क्रिमिनल है लेकिन वह साबित नहीं हो सका। बल्कि वह रिपोर्ट जो आई है हमारे हक में है। बैगाकापा गांव में 20 हम भी हैं और एक सवर्ण हिन्दू मरा है। इनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हरिजन खाते पीते न रहें, इनकी लिखाई पढ़ाई न हो, सरकार इनकी जो मदद कर रही है वह न हो और ये हमेशा दबे रहें, हमारी गुलामी करें और हमारी ही बात मानें। पोकल सिंह ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस केस को आज से नहीं बल्कि 10-15 वर्षों से फैसला कराता आ रहा है। आधा पैसा पुलिस को मिलेगा और आधा अपनी जेब में रखेगा। इस तरह से वह हर जगह लड़ाई जगड़ा फैलाता रहता है रामायण के माध्यम से। तीन शिक्षकों को इसलिए उन्होंने मारा कि वे हरिजन थे और ठाकुर के बच्चों को स्कूल में मारते थे, इसलिए इनको जान से खत्म करो।

यह वाक्या बैगाकापा गांव में 19 को हुआ। इनके कहे अनुसार जो न्यायिक जांच बैठी है, उसमें 15 तारीख का कुदूरताल में जो मारपीट हुई, घर जलाए गए, उसको थोड़ा दिया है, उसको भी लेना चाहिए। 19 तारीख को इनका आरोप है कि सतनामियों ने हमला किया। गुरुआइन डबरी ग्राम में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह हमला किया लेकिन उसमें कोई हत्याएं नहीं हुई। इसके अलावा 19 तारीख को वहां पुलिस थी। पुलिस को भी चकमा दिया गया। यहां पर रात भर पुलिस 19 को रही। उसके बाद भी उन्होंने हरिजनों के घर घर जा कर मारपीट की। एक हरिजन स्त्री स्वयं मुझ से बता रही थी कि उसी दिन उसके पास आये और उसके बच्चे को काटने के लिए तैयार हुए। उसने अपने बच्चे को पेट से चिपका लिया और उनके पैर पड़ी तब कहीं बै गए। इस तरह का वहां रात भर तांडव होता रहा पुलिस क्या करती रही? क्या पुलिस सोई हुई थी? गांव भर के सारे हरिजन आतंकित होकर सबेरे भाग रहे थे। वर्मा साहब के सामने उन्होंने कहा कि दो दिन तक खाए पिए नहीं, घर में छिपे रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की हालत को देख लीजिए। जब 20 तारीख को दोनों दल में झगड़ा हुआ, एक ठाकुर के भाई भाई में हुआ और एक सतनामी भाई में। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में क्या हुआ। कहा जाता है कि ठाकुर पोकल सिंह ने योजना बना कर कहा कि तुम इनके लिए चावल दाल लेकर जाओ। पांच लोग आये जिसमें दो आदमी थे और तीन औरतें। जिस रास्ते से आये उस रास्ते में 6 लोग बैठे थे। इन लोगों ने उनको पकड़ लिया और कहा कि तुम भग रहे हो। ठाकुर से पूछना पड़ेगा। औरतों को तो भगा दिया। लेकिन दो आदमियों को रोहरा नाम के गांव में पकड़ कर ले आये। और दोनों को दिन दहाड़े काट कर फेंक दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं। 20 तारीख को करीबन 12-1 बजे मैंने एस० पी० से पूछा कि आप वहां थे या नहीं तो वह बोले कि हम लोग वहां थे। 20 तारीख को एक आदमी आया और उसने कहा कि कीलिहापारा गांव में हमला हो गया है तो वह सब पुलिस वहां चली गई। रास्ते में उनकी गाड़ी जा नहीं सकी और गाड़ी उनकी रुक गयी तो पुलिस वाले तीन भील पैदल गये और तीन भील पैदल आये। इधर ठाकुर पोकलमिहने अपने दलबल के माथ में बैगाकापा में हमला बोल दिया। दिनांक 20-1-68 को ग्राम बैगाकापा में इस तरह एकाएक धावा बोल कर फसल में आग लगाई गई, कोटी के धान लूटे गये, घरद्वार तोड़े फोड़े गये, नूटमार की गई। वहां पर उन्होंने तीन हत्याएं कीं। औरतों के जेवर लूटे गए। घर जलाये गये यहां तक कि औरतों के पुगाने कपड़े तक भी जला दिये। उनके घरों का सब धन-धान्य लूट लिया। कुछ अबलाओं पर बलात्कार भी किये गये। उनकी औरतें रोती हुई अभी कहती हैं कि हम बिलकुल निरोष थे लेकिन इस तरह से उन्होंने हम पर यकायक हमला बोल दिया। कोई 25-30 लोग हमारे घर्याल हुए और जैसा मैंने बताया तीन हत्याएं हुईं। कई नौजवान लड़कियों की इज्जत लूटी गई, उनके जेवर आदि लूटे गये। इस तरह से

वहां पर बड़े पैमाने पर उपद्रव किये गये। 3 शिक्षक बुरी तरह पीटे गये हैं। कुछ लोगों को मरा समझ कर छोड़ दिये। औरतों और बच्चों की निर्भय पिटाई की गई है और एक गर्भवती को इतना पीटा कि गर्भ से उसके बच्चा निकल आया...शर्म, शर्म। डूब मरने की बात है... (अब बच्चा) वह गर्भवती और अभी भी कराहती है। उस बेचारी को इतना पीटा गया कि वह गली में भारी और बहीं पर उसके बच्चा हो गया। इस तरीके से न तो उसको अस्पताल पहुंचाया गया और न ही जो कई लोग धायल हुए थे उन्हें ज्यादा दिन तक अस्पताल में रखा क्योंकि उस तरह केस शक्तिशाली बन सकता था और इसीलिए अस्पताल बालों ने उन्हें अपने वहां से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया।

अभी 17 फरवरी को गवर्नर साहब गुरुवाइनडबरी गये थे तो जब उनकी गाड़ी निकल गई, मुझे ठाकुर पोकलसिंह के लोगों ने बेर लिया। पोकलसिंह के लड़के ने कहा कि फांसी हो जायगी और क्या होगा? हम लोग फांसी से नहीं डरते हैं। फिर दो पुलिस के आदमी आये और मुझे वहां से जीप में बैठा कर ले गये। इस तरह की हालत वहां पर भीजूद है।

यह सारे उपद्रव सिफं एक ही बात पर है कि यह हरिजन लोग शिक्षित न हों, हरिजन लोग अच्छा खायें, पियें नहीं और हमेशा-हमेशा के लिए पैरों तले गुलामी में पड़ रहे हैं। मध्य-प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की दशा बड़ी ही शोचनीय है। वहां पर हो यह रहा है कि अगर किसी ठाकुर के वहां चोरी हो गई तो बस आंख मूद कर आदिवासियों को पकड़ लाते हैं और कतार में उन्हें खड़ा कर कर कोड़े लगवाते हैं और इस तरह से बेत के बत्त से जबरदस्ती उनसे कबूलवाने हैं कि उन्होंने चोरी की है और उन बेचारे गरीब लोगों को इस तरीके से जेव भेज देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से अभी भी उन लोगों पर मनमाने अत्याचार चल रहे हैं।

कृंक घंटी दो मर्तबा बज चुकी है इसलिए और अधिक न कहते हुए मैं कुछ सुझाव

## [श्रीमती मिनिमाता अगम दास गुहा]

देकर अपनी बात खत्म करूँगी। जिन लोगों का धन धान्य लूटा गया है, खतों का अनाज लूटा गया है उनके लिए फौरन खाने, पीने की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा जो लोग धायल हुए थे और जिन्हें अस्पताल से जल्दी छोड़ दिया गया था अब उनके घावों में से मवाद आ रहा है तो उनके मुनासिब इलाज का बड़े अस्पताल में इन्तजाम करवाया जाये। इसके अलावा मेरे पास एक चिट्ठी भी उन मुसीबत-जदा भाईयों की आई है जिसमें उन्होंने अपनी विपति का वर्णन किया है। उन्होंने मुझे लिखा है कि आज करीब दो या ढाई महीने होने को आ गये यह ठाकुर लोग हम सतनामी लोगों को बाजार में जाने नहीं देते हैं और जो चले जाते हैं उन पर मार पड़ती है। हमारी गरीब बस्ती है, बाजार जाये बिना हमारा हुगर भी नहीं होता है और हालत यह हो रही है कि हम बिना नमक के तरकारी उबाल उबाल कर खा रहे हैं। जब मैंने इस बारे में वहां के एस० पी० को लिखा तो उन्होंने कहा कि वह पुलिस फोर्स के साथ क्यों नहीं जाते हैं? अब यह देश-वासियों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में लोग बिना पुलिस की मदद लिये इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं। दूसरे वह बेचारे कितने दिन पुलिस के साथ जावेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस देश में गरीब हरिजन और आदिवासी लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त होगा या नहीं? मैं राज्य सभा में कल यह विचार प्रकट करते हुए सुन रही थी कि एक जाति तोड़ सम्मेलन देश में बुलाया जाना चाहिए और जात-पांत के बंधनों को तोड़ देना चाहिए और सरकार को हरिजनों और आदिवासियों की उन्नति के लिए तत्काल अधिक-से-अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे हरिजन व आदिवासी निर्भकता से आगे बढ़ें। जो लोग उन पर इस तरीक से अत्याचार कर रहे हैं उनकी ओर प्रदेश निकासी नहीं तो कम-से-कम जिला निकासी तो अवश्य की जाय। कांग्रेस के जमाने में ऐसे लोगों की जिला निकासी की गई थी।

मैं केन्द्रीय शासन से आग्रह करूँगी कि वह इस बारे में अपने तीर पर एक जांच करवाये क्योंकि मध्य प्रदेश के जनसंघी प्रशासन से हमें न्याय मिलने में संदेह है। केन्द्रीय सरकार इन उपद्रवों और वहां किये गये अत्याचारों की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये। दरअसल घटनाग्रस्त क्षेत्र में अभी तक जांच नहीं हुई है। वहां की लोकल पुलिस जनसंघ के इशारे पर चलती है इसलिए सी० बी० आई० द्वारा केन्द्रीय सरकार अविलम्ब जांच कराये ताकि सही तथ्य सब के सामने आ सके। फिर यह तथ्य एक उच्च निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच कमीशन के सामने रखें जाये और दोषी व अपराधियों को सख्त मजांगी जाय, कांसी भी दी जाये।

**श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) :** उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें कोई दलगत विचार के लिए स्थान नहीं रहता है। वैसे तो श्री मधु लिमये आदि ने यह चर्चा मध्यप्रदेश के जिला बिलासपुर के मुंगली कांड को लेकर उठायी है लेकिन हमें इस सारी समस्या पर गहराई में जाकर विचार करना होगा और उसका समाधान खोजना होगा। हमारे कांग्रेसी बंधु हमेशा कहते हैं :

“Everything must be considered in a larger context”.

यह केवल एक छोटी सी मुंगली कांड की घटना के तीर पर ही नहीं ली जानी चाहिए। बिलासपुर जिले के गजटियर में 1910 में यह बात कही गई है कि हरिजनों, आदिवासियों और सर्वों के बीच निरन्तर तनाव चला आ रहा है इसमें कोई कांग्रेसी या जनसंघी प्रशासन के होने या न होने से कुछ नहीं बनता है। दरअसल अपने ही समाज के भिन्न भिन्न अंगों और प्रत्यंगों के बीच में जो एक सहकार बाली चीज़ है उसे लाने के लिए हम पिछले 25 साल से इस समाज को संगठित करने के काम में लगे हुए हैं। उसके लिए हम खून, पसीना एक कर रहे हैं। समाज को ठीक रूप से संगठित करने का काम कोई मामूली काम नहीं होता है।

दूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम आसान काम नहीं हुआ करता है। मैं यह भी चीज साकर कर दूँ कि कानून इसके लिए कई हम बनाते हैं। मंदिर में भगवान के सामने सब भक्त के नाते जाते हैं किन्तु उन्हें मालूम है जबकि मंदिर प्रवेश का कानून हुआ, मैं किसी भी दल का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु कई लोगों ने यह कह दिया कि हम हिन्दू तो हैं नहीं और इस कानून के अन्तर्गत हम आते ही नहीं हैं। हम फलाने पथ के हैं इसलिए हमारे पथ का भविर इसके अन्तर्गत नहीं आता है और हम उसमें हरिजनों को नहीं जाने देंगे। इसी तरह हमुँ कई नगरपालिकाओं के बारे में मालूम है जिन्होंने कि तालाबों पर ऐसे बोर्ड लगाये हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति यहां से पानी ले सकता है किर भी नगरपालिका ने एक आदमी को पानी देने के लिए अनग बैठाया हुआ है। मैं उन का नाम नहीं बनलाना चाहता जिनसे कि मैंने पूछा कि इसका खर्च कहां दिखाते हों? इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा यह समस्या एक छोटी-सी मुर्गेली कांड तक ही सीमित नहीं है। कानून में हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए ममाज के मध्ये अंग व प्रत्यंगों को एक साथ नेकर भासाजिक परिवर्तन करना होगा।

आज बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों के अन्दर मैं बतलाना चाहता हूँ कि उसमें भी बुरी हालत मौजूद है जैसी कि गांवों में अपने इन बंधुओं की थी। आज बम्बई में जहां बड़ी-बड़ी गगनचूम्बी हमारते और भवन बने हुए हैं और उनमें धनी, मानी लोग रहते हैं वहां उन्हीं के विलकुल नजदीक मूलम ही बने हुए हैं जहां कि उच्च वर्ण के ब्राह्मण भी उनमें रहते हुए मिलेंगे और उनके साथ में ही निचली जाति के लोग भी रह रहे हैं। वहां बम्बई में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण श्रावक तके कारण निचली जाति वालों से दूर रहता हो। वह भी उन्हीं मूलम में उनके साथ में रहता है क्योंकि बम्बई में जो भी अपनी रोज़ा, रोटी के लिए आ पहुँचता है उसे घर न होने के कारण उनमें रहना पड़ता

है या तो फुटपाथ पर सोना पड़ता है। वहां बम्बई में इस तरह कोई जाति-पाति वाली चीज नहीं होती है बल्कि समानता के स्तर पर सभी उन स्लम्स में रहते हैं। ऐसा दृश्य आज बम्बई में आपको दिखाई देगा। जब मुंगली कांड का सबाल आया तो माननीय मिनी-माता का भी उसके साथ थोड़ा-सा सम्बन्ध है। वास्तव में पूरे तथ्यों के अन्दर हमें जाना चाहिये। उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसके लिए तो कमीशन बैठ गया है। किन्तु मिनीमाता जी के ही प्रयास के कारण यह जो सतनामी है और गैर सतनामी है इन दोनों के बीच में अच्छे सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की प्रस्थापना हो इसकी शपथ दोनों ने ली थी, पोकल सिंह ने भी और अन्जोर दास ने भी। अब सबाल आ कर यह खड़ा होता है कि 19 जनवरी को पोखल सिंह के घर पर हमला होता है और उस समय पोखल सिंह की बहन ने मिनीमाता जी को ही पूछा कि आप ही के सामने इन्होंने बादा किया था और वादे के होते हुए और पोखल सिंह के घर पर न होते हुए यह जो हमारे घर पर हमला हुआ और दादू सिंह को जो मारा गया और उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है यह क्यों हमला किया गया... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I suggest that the facts which are not certain need not be stated here because there will be some controversy about it. We have to conclude the debate within one hour. As far as possible, do not interrupt.

श्री जगन्नाथ राव जांसू : मैं फैक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ। 19 और 20 को जो घटनायें घटी हैं उनको मैं अच्छी नहीं समझता हूँ और कोई भी अच्छी नहीं समझेगा, कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं समझ सकता है। मैं तो विलकुल भी नहीं समझता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा कहना इन्होंने और गैर-हरिजनों का सबाल नहीं है बल्कि समाज के भिन्न-भिन्न अंगों के बीच में जो एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिये, वह नहीं है और उसको

**[श्री जगन्नाथ राव जोशी]**

हम सभी को मिल कर प्रस्थापित करना चाहिये। वहां पर जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए कुछ संकल्प किय गये थे। साथ ही एक कमीशन बैठा था और उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया था और उन पर अमल करने का सवाल था, उसकी सिफारिशों को लागू करने का सवाल था। सब को एक समान स्तर पर लाने की दृष्टि से हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिये। अगर ऐसा किया जाए तो यह समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है। हमें इस समस्या पर दलगत भावना से विचार नहीं करना चाहिये, दल से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये। किसी भी दल को इसमें घसीटना और कांग्रेसी-गैरकांग्रेसी की बात करना ठीक नहीं होगा। अपना ही उल्लंघन करने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिये। समस्या को हल करने की दृष्टि से हमें उचित कदम उठाने चाहिये। असल में इस समस्या की गहराई में हमें जाना चाहिये और असली जो समस्या है उसको टैकल करना चाहिये। कमीशन के जो टर्म्ज़ आफ रेफ़ेस हैं उसमें उन्होंने भी यह दिया है और कमीशन सोच विचार करके अपने सुझाव दे। हम जितने भी गैर कांग्रेसी हैं और जो संविध में बैठे हैं, उन सब को जैसे श्री मधु लिमये को दुख होता इस तरह की घटनाओं से बैसे ही हमें भी होता है। सभी दलों को साथ ले कर, सभी लोगों को साथ लेकर और कंघे से कंधा मिला कर आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करें और आपस में प्रेम-पूर्वक रहें तभी यह समस्या हल होगी।

**SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central)** : Mr. Deputy-Speaker, Sir, when I heard the episode that had taken place in Madhya Pradesh, more especially in Bilaspur tehsil, I was shocked. This is the second occasion today that I am also shocked when I hear the justification sought to be given on behalf of Phokal Singh on what happened on the 20th....

**SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :** No justification; not at all. It is misunderstanding.

**SHRI R. D. BHANDARE :** I am not trying to misunderstand you. I am trying to understand you. In order to understand this aspect, if there had been no Commission I would have told you the story, as to what happened on the 11th, 15th, 19th and 20th. But since the Commission is sitting and making an enquiry I need not go into the details of it. I would direct two questions to the Home Minister. Firstly, why is it that Mr. Pokhal Singh, who is the leader of the Jan Sangh party....(Interruptions)

**श्री हु.न चन्द व्याजाय :** वह जनसंघ का चार आने का भी सदस्य नहीं है। वह राम राज्य परिषद का सदस्य है। उसकी टिकट पर वह पहले चुना गया था। जनसंघ का वह चार आने का सदस्य भी नहीं है।

**श्री शशी भूषण वाजपेयी (खारगोन) :** जोशी जी, क्या आप रिजाइन करने को तैयार हैं? अगर वह आपकी पार्टी का सदस्य हो। अगर न हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ।

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Order, order. Let him continue his speech.

**SHRI R. D. BHANDARE :** I want to know from the Home Minister why is it that Mr. Pokhal Singh has not been charged-sheeted and prosecuted under the Cr. P.C. for the criminal offences committed on 19th and 20th January. Am I wrong in raising the question that because this gentleman belonged to a party which is in power, he was not criminally prosecuted, but he is simply detained so that he could be released at any time?

Secondly, why is it that the Central Government has not taken up the matter so far. The answer may be that it is because an enquiry commission has been appointed. May I tell the Central Government that because the party which is in power has tried not to help these poor down-trodden, under-privileged people, I have reasons to ask this question. The first question is : why is it that the Chief Minister did not go to that place when section 144 Cr. P.C. was promulgated? The Chief Minister went and stayed there for ten days. What happened to the lives and property of these people during that period? (Interruptions).

**SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :**  
Can he say on the floor of the House as to the merits of what the Chief Minister did or did not do ?

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** He is not accusing the Chief Minister. He is posing a question to the Home Minister.

**SHRI R. D. BHANDARE :** I am not accusing. I am asking the Central Government about the action of the Chief Minister and the insecurity to life of the people there . . . . (Interruptions) These are the two questions, and the hon. Home Minister must reply to them to satisfy the people, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

This is not the first time that an episode of this kind has occurred. This is not of a unique kind. Such episodes have taken place in U.P., Bihar, Madhya Pradesh and other places also . . . . (interruptions)

**SHRI SHRI CHAND GOEL (Chandigarh) :** Maharashtra also. Why mention only U.P. and Madhya Pradesh ?

**SHRI R. D. BHANDARE :** Since the name of Maharashtra was mentioned, may I say that while Shri Madhu Limaye mentioned the name of Maharashtra, the names of States like U.P. and Bihar were not mentioned by him.

**श्री मधु लिमये :** मैंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में, विहार में, हरिजन का घर जलाया गया था ।

**SHRI R. D. BHANDARE :** I am talking of very recent happenings . . . . (Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** May I request hon. Members not to make interruptions, as far as possible ? The hon. Member is not accusing anybody. He is posing a question for the Home Minister to reply. There might be a suggestion of accusation, but he is not accusing anybody.

**SHRI R. D. BHANDARE :** Only three months ago a very brilliant boy was cut into pieces before the Principal of the School in Aligarh. This happened in Uttar Pradesh (interruptions)

**श्री राम चरण (खुर्जी) :** कल भी एक बालमीकी के लड़के को मार दिया गया ।

**श्री मधु लिमये :** मैंने एक सूबे की नहीं, सारे देश की बात कही है ।

**श्री हरभीम चन्द द लवाय :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि यह एक छंटे में पूरा होने वाला नहीं है । इस लिए इस बहस को कल भी जारी रखा जाये और कम-से-कम ढाई छंटे तक चलाया जाये । अब मैं व्यवस्था का सवाल उठानान्वाहता हूँ कि सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** The question of quorum is being raised. The hon. Member may resume his seat. The bell has stopped ringing. There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

19.47 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March, 8, 1968/ Phalgun 18, 1889 (Saka).*

---